

सं० एएसएफडी / 24/MFV/2022-23/34  
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,  
सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक कार्यालय,  
मत्स्योद्योग विभाग, दीव  
दिनांक - 21/04/2022

## सार्वजनिक सूचना

आप सभी सक्रिय मछुआरो को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के मत्स्योद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 07/04/2022 के आदेश सं030035/15/97-FY(T-1)/Ind Vol. VI के तहत वेस्ट कोस्ट के तटीय विस्तार में दिनांक 01/06/2022 से 31/07/2022 अवधि तक समुद्र में फिशिंग करने पर प्रतिबंध (FISHING BAN) लगाया गया है, जिससे की मात्स्यिकी (Fishery) संपत्ति का संरक्षण एवं प्रभावकारी प्रबंध किया जाए और मछुआरो की सलामति हो सके । यह समय के दौरान मछली की उत्पत्ति बढ़ती है और मछली का विकास होने का अवसर प्राप्त होता है । इसलिए यह प्रतिबंध आवश्यक है जो अनन्य आर्थिक जोन (Exclusive Economic Zone) और प्रादेशिक/क्षेत्रीय जल सीमा (Territorial Waters) में भी लागू होता है । इसलिए इस अवधि तक समुद्र में फिशिंग करने की सख्त मनाई की जाती है ।

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए यह भी बताया जाता है कि वर्षाऋतु के समय दमण-दीव और गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में समुद्र की तूफानी लहरें एवं हवा तेज चलती है जिसके कारण मछुआरों की नाव, जाल वगैरे का भारी नुकसान देखा जाता है, इसलिए दीव जिले के मछुआरों एवं फिशिंग नावों की सलामति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01/06/2022 से 15/08/2022 तक खराब समुद्री हवामान के कारण माछीमारी के लिए प्रतिकूल मौसम (Fishing Off-Season) बताया जाता है ताकि मछुआरों की जान-माल का नुकसान से बचा जा सके । इसलिए आप सभी मछुआरों को सूचित किया जाता है इस अवधि में कोई भी मछुआरें समुद्र में फिशिंग करने न जाए एवं अपनी नाव को समुद्र में न भेजे ।

उपरोक्त सूचना का आप सख्ती से पालन करें अन्यथा सरकारी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।



( सुकर आंजनी )

सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक,  
दीव.

सेवा में,

- |  |   |
|--|---|
| 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, दीव                 | } |
| 2. अध्यक्ष, दीव जिल्ला पंचायत, दीव                               | } |
| 3. सरपंच, ग्राम पंचायत, वनाकबारा, साउदवाडी, बुचरवाडा, जोलावाडी   | } |
| 4. प्रमुखश्री, दीव जिला फिशरमेन एसोशियेशन, वनाकबारा              | } |
| 5. प्रमुख श्री, दीव जिला की विविध मत्स्य को-ओपरेटिव सोसायटी,     | } |
| 6. अध्यक्ष, मछुआरा संघ, वनाकबारा, साउदवाडी, बुचरवाडा, धोधला, दीव | } |
| 7. 'दीवसागर' मोबाईल ऐप द्वारा सभी बोट मालिक को जानकारी           | } |

प्रतिलिपि प्रेषित -

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. माननीय समाहर्ता, समाहर्तालय, दीव | } |
| 2. सब डिविजनल पुलिस अधिकारी, दीव    | } |
| 3. संयुक्त सचिव (मत्स्योद्योग), दमण | } |
| 4. बंदरगाह अधिकारी, दीव             | } |
| 5. कोस्टल पुलिस, दीव                | } |

} जानकारी हेतु ।

} सूचनार्थ एवं

} अधिकतम

} प्रचार-प्रसार हेतु

} प्रेषित है ।

} जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

No. 30035/15/97-Fy (T-1)/Ind Vol.VI  
Government of India  
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
Department of Fisheries  
\*\*\*\*\*

Krishi Bhawan, New Delhi  
Dated the 07<sup>th</sup> April, 2022

**ORDER**

The President of India is pleased to impose a uniform ban on fishing by all fishing vessels in the Indian Exclusive Economic Zone (EEZ) beyond territorial waters on the East Coast [including Andaman, & Nicobar Islands] and West Coast [including Lakshadweep Islands] as per period mentioned below for conservation and effective management of fishery resources and also for sea safety reasons:

**East Coast-from 15<sup>th</sup> April to 14<sup>th</sup> June, 2022 (both days inclusive) (61 days)**

**West Coast-from 01<sup>st</sup> June to 31<sup>st</sup> July, 2022 (both days inclusive) (61 days)**

The traditional non-motorized units shall be exempted from this uniform fishing ban imposed in the Indian EEZ beyond territorial waters.

This issues with the approval of the Competent Authority.



(Dr. Sanjay Pandey)  
Assistant Commissioner (Fisheries)

To,

1. The Secretary (Fisheries), All Maritime States/Union Territories.
2. The Chairman, All Major Port Trust: The ban order may please be served on all the companies operating deep sea fishing vessels from the port.
3. Directorate General of Shipping, 9<sup>th</sup> Floor Beta Building, i-Think Techno Campus, Kanjurmarg (East), Mumbai- 400 042 with a request to notify all Registrars of Fishing Vessels in the East & West Coasts, A&N Islands, Puducherry & Lakshadweep Islands and Daman & Diu.
4. Director (Operations), Coast Guard Headquarters, National Stadium Complex, New Delhi.
5. Director General, FSI, Mumbai/Director NIFPHATT/CIFNET, Kochi.
6. Director, CMFRI, Post Box No. 1603, Ernakulum North PO, Kochi-682 018.
7. Officer-In-charge, NIC, DoF, MFAH&D, Krishi Bhavan, New Delhi.
8. Chairperson, National Fishworkers Forum (NFF), The SFSS Soc. Ltd., Satpati Post, Tal, Palghar District, Maharashtra-401405



(Dr. Sanjay Pandey)  
Assistant Commissioner (Fisheries)